

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत 59 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा सं० 194/36-3-2011-07(न्यू०वे०)/04, दिनांक: 28.01.2014 द्वारा 59 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवम् देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी हैं, उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दर, दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 59 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिए, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001=100) माह जुलाई, 2012 से दिसम्बर, 2012 के औसत 216 (मात्र दो सौ सोलह) अंकों के ऊपर जुलाई, 2014 से दिसम्बर, 2014 के औसत अंक 253 (मात्र दो सौ तिरेपन) पर दिनांक 01.04.2015 से दिनांक 30.09.2015 तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भांति गणना करके देय है:-

दृष्टान्त :- रूपये 5750.00 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत मूल्य सूचकांक 253 पर दिनांक 01.04.2015 से दिनांक 30.09.2015 तक देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित होगा :-

(253-216)

$$\text{-----} \times 5750 = \text{रु० 984.95 प्रतिमाह}$$

216

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रति माह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता, मासिक एवम् दैनिक मजदूरी की दरें निम्नवत् हैं:-

क्र०	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी (रूपये में)	प्रतिमाह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता (रूपये में)		दिनांक 01.04.2015 से दिनांक 30.09.2015 तक	
			दिनांक 01.10.2014 से दिनांक 31.03.2015 तक	दिनांक 01.04.2015 से दिनांक 30.09.2015 तक	प्रतिमाह कुल मजदूरी (रूपये में)	दैनिक मजदूरी (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750.00	665.50	984.95	6734.95	259.04
2	अर्द्ध कुशल	6325.00	732.06	1083.45	7408.45	284.94
3	कुशल	7085.00	820.02	1213.63	8298.63	319.18

नियोजनों के नाम :-

- रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद (टायर और टयूब सहित) के उद्योग।
- प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग।
- मिष्ठान उद्योग।
- वासित पेयों (एरेटेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण।
- फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
- परतदार लकड़ी (प्लाईवुड) के उद्योग।
- पेट्रोल और डीजल आर्यल पम्प।
- डेरी और मिल्क डेरी।
- सिले सिलायें कपड़ों की विनिर्माणशाला।
- बाँध तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
- उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।
- प्राइवेट अस्पताल (नर्सिंग होम्स) एवम् प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरी सामान की दुकानों।
- ढलाई घर।
- धातु उद्योग।
- टिन प्लेट शेपिंग और टिन प्रिंटिंग।
- ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
- चर्म शोधनशाला और चर्म विनिर्माण शाला।
- चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
- होजरी संकर्म।
- निजी पुस्तकालय।
- काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग।
- प्राइवेट कोलिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राविधिक संस्थाएँ भी सम्मिलित हैं।
- तम्बाकू विनिर्माण।
- धर्मशाला।
- वानिकी (फारेस्ट्री): अट्टा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है।
- दुकान।

27. वाणिज्य अधिष्ठान।
28. चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
29. तेल मिल।
30. लोक मोटर परिवहन।
31. यांत्रिक परिवहन कर्मशाला।
32. आटोमोबाइल रिपेयर्स कर्मशाला।
33. सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने या निर्माण सक्रियाओं।
34. पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने।
35. चिकन के कार्य।
36. दियासलाई उद्योग।
37. आइसक्रीम/ आइस्क्रीम विनिर्माणशाला।
38. बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशाला।
39. बर्फ विनिर्माणशाला।
40. एरबेस्टस सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशाला।
41. लाण्ट्री और धुलाई अधिष्ठान।
42. जिल्दसाजी।
43. कोल्ड स्टोरेज।
44. पाटरी, स्मिथिका या रिफ्रिजरेटर।
45. निजी मुद्रणालय।
46. सिनेमा उद्योग।
47. कपड़ा छपाई।
48. सिलाई उद्योग।
49. एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी फार्मसी।
50. क्लब।
51. हथकरघा (सिल्क की साडी की बुनाई) जरी के कार्य।
52. कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का चूर्ण या प्रक्षालक विनिर्माण।
53. ऊनी कम्बल बनाने के अधिष्ठान।
54. खाण्डसारी।
55. हथकरघा उद्योग।
56. शक्ति चालित करघा उद्योग।
57. छोटा (मिनिएचर) बल्ब एवम् कोंच उत्पादों के निर्माण।
58. कागज, गन्ना और पेपर बोर्ड उद्योग।
59. ईट भट्टा उद्योग।

(राकेश कुमार)

अपर श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर।

पत्र सं०- 840-71 / प्रवर्तन०-(एम०डब्लू०) / 15

दिनांक 24-3-2015

प्रतिलिपि:-

1. समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त, उ०प्र०, को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करायें तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराएँ।
2. अनुसंधान उ०प्र० शासन, श्रम अनुभाग-3, लखनऊ।
3. सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (वेज सेल) भारत सरकार नई दिल्ली को ई-मेल wagecell@nic.in के माध्यम से।
4. अधिशासी निदेशक उद्योग बंधु लखनऊ।
5. अपर श्रमायुक्त, (नजारात) को नोटिस बोर्ड पर चरपा करने हेतु।
6. अपर श्रमायुक्त, (आई०आर०), मुख्यालय।
7. अपर श्रमायुक्त, (कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त एवं सहायक निदेशक, भारत सरकार को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
8. उप श्रमायुक्त (पुस्तकालय), मुख्यालय को सूचनार्थ/अभिलेखार्थ प्रेषित।
9. समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

(राकेश कुमार)

अपर श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय उपश्रमायुक्त, लखनऊ क्षेत्र, 23 ए०पी० सेन रोड, लखनऊ।

पत्रांक 5718-36 / एल०आर०प्रवर्तन-15

दिनांक 01-4-15

उपरोक्त की प्रति निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सहायक श्रमायुक्त रायबरेली, हरदोई, उन्नाव, लखीमपुर खीरी।
- 2- श्रम प्रवर्तन अधिकारी, सीतापुर।
- 3- समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी लखनऊ।

(वि.न. मिश्रा)

अपर श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,